

2024/268. फर्द अहकाम
(नियम 15)

जारी
23.7.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हरीराम बनाम

रावतसर जिला हनुमानगढ
भीमराज आदि
प्रकरण संख्या 01 वर्ष 2024

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
02.01.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 18.01.2024 को पेश हो	
18.1.2024	<p>बकुलाए करीकम उपस्थित/PU माइस <u>अमर शर्मा</u> <u>04/18</u> है। पत्रावली <u>23/5/2024</u> गस्त <u>04/18</u> दिनक <u>23/5/2024</u> को पेश हो</p>	
19.5.2024	<p>बकुलाए करीकम उपस्थित/PU माइस <u>अमर शर्मा</u> <u>04/18</u> है। पत्रावली <u>23/5/2024</u> गस्त <u>04/18</u> दिनक <u>23/5/2024</u> को पेश हो</p>	
23.5.2024	<p>बकुलाए करीकम उपस्थित/PU माइस <u>अमर शर्मा</u> <u>04/18</u> है। पत्रावली <u>23/5/2024</u> गस्त <u>04/18</u> दिनक <u>23/5/2024</u> को पेश हो</p>	
23.7.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी स्वयं को कार. करत अमराज लगाई छि भी रजिस्ट्र नहीं। वाद नहीं आदफरेंकी की अदम हाजवी में जारीन छिपा जाहा है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर काहु तरीक तमगील जावा पाछिल इफ्तुर हो।</p>	